ए०जी० 14017/75/89-स्था0(आर०आर०)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 फरवरी, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग डिसिप्लिन में विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए माडल भर्ती नियम ।

***

मुझे इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग डिसिप्लिन में समूह "ग" में विभिन्न प्रकार के पदों के लिए माडल भर्ती नियमों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है । ये पद डाटा एन्ट्री आपरेटर्स और डाटा प्रोसैसिंग/प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन में है । माडल भर्ती नियम व्यय विभाग के दिनांक 11 सितम्बर, 1989 के का0ज्ञा0 सं0 एफ.7(1)/आई.सी.86(44) में दिए गए सुझावों पर आधारित हैं । सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त संशोधनों सहित यदि कोई हों, इन नियमों का अनुपालन करें । जो भर्ती नियमों से अपसरण के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए ।

2. यह मंत्रालय से भी अनुरोध है कि ये इन माडल नियमों को सभी संबद्ध/आश्रित क्षेत्रों के प्रशासनों को अपनाने के लिए भेजें ।

(टी.एम. पेरुमाल)
(टी0 एम0 पेरुमाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों

अनुसूची

1. पद का नाम	:	डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड "क"
2. पदों की संख्या	:	*(बनाने का वर्ष) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय ।
3. वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह ग) अलिपिकीय ।
4. वेतनमान	:	रु0 1150-25-1500
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद ।	:	लागू नहीं होता
6. क्या के0सि0से0 (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है ।	:	लागू नहीं होता
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा ।	:	25 वर्ष, (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक आयु छूट (अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के उम्मीदवारों के संबंध में 45 वर्ष तक छूट । टिप्पणी - आयु सीमा निश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित शामिल की जाए) । टिप्पणी :- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, चम्बा जिला के उप-डिवीजन पांगी और लाहौल तथा स्पिति जिला, लक्षद्वीप के अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह वालों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख न हो कर) उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।

....2/-

8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं ।	: (क) 12वीं पास अथवा उसके समकक्ष (ख) डाटा एन्ट्री कार्य के लिए कम से कम 8000 की डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति । : टिप्पणी :- अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकरण के स्वनिर्णय पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । टिप्पणी 2:- अनु0जा0/अनु0ज0जा0 से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव प्राप्त पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने संभव न हों तो कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्व निर्णय के आधार पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । : टिप्पनी 3: डाटा एन्ट्री कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा ई.डी.पी. मशीन (मशीनों) पर गति परीक्षा ले कर किया जाएगा ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी ।	: लागू नहीं होता
10.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	2 वर्ष
11.	भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती : टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी छुट्टी अथवा अध्ययन छुट्टी या एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए किन्ही परिस्थितियों के अन्तर्गत चले जाने से उत्पन्न हुई रिक्तया' नियमित आधार पर, सदृश

	पदों को धारण करने वाले कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भरी जाएं ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में उन ग्रेडों का नाम जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	लागू नहीं होता
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन ।	स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (वि0 प0 स0 के गठन का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए ।
14. वे परिस्थितियां जब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।	लागू नहीं होता

अनुसूची

1-	पद का नाम	: डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड "ख"
2-	पदों की संख्या	: x नियम बनाने का वर्ष§ : x कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय ।
3-	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय ।
4-	वेतनमान	: रू0 1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200
5-	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	: गैर-चयन पद
6-	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा §पेंशन§ नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है	: लागू नहीं होता
7-	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: 25 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक §अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के संबंध में 45 वर्ष तक §छूट । टिप्पणी:- आयु सीमा निश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए अनुसार होगी§कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती न किए जाने की स्थिति में निम्न टिप्पणी अन्त:स्थापित की जाए । टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में§असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड त्रिपुरा सिक्किम जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, अण्डमान तथा निकाबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप वालों के निर्धारित अन्तिम तारीख न हो कर§ उम्मीदवारों से आवदेन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।

/लाहौल तथा स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी डिवीजन

8- सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं

: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके समकक्ष,

(2) डाटा एन्ट्री कार्य के लिए कम से कम 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घन्टे की गति हो ।

टिप्पणी: उन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी (अथवा संगठन द्वारा निर्णय किए अनुसार इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग के अन्य संगत क्षेत्र (सहित डिग्री होगी) । संगत समझे गए विषयों को विभाग विशेष द्वारा नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

टिप्पणी 2:- अन्यथा रूप से योग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्वनिर्णय पर छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी3:-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन. जाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन की किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभाव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने संभव नहीं हैं तो अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्वनिर्णय पर छूट दी जा सकती है ।

टिप्पण 4: डाटा एन्ट्री कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घन्टा की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन (नों) पर गति परीक्षा का आयोजन करके किया जाएगा ।

9- क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक

: लागू नहीं होता ।

अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी ।

10- परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । : सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष पदोन्नति उम्मीदवारों के लिए कोई नहीं ।

11- भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

: निम्न में से भर्ती का कोई भी तरीका :

1) पदोन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।

2) पदोन्नति द्वारा प्रतिशतता, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा सीधी भर्ती द्वारा --- प्रतिशतता ।

)पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती की प्रतिशतता फीडर ग्रेड में मंजूर पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए । उदाहरण के लिए यदि फीडर ग्रेड में 5 पद हों तथा उच्चतर ग्रेड में 10 पद हों तो पदोन्नति के लिए केवल 50% कोटा तथा सीधी भर्ती के लिए 50% कोटा निर्धारित किया जाए ।

12- पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में उन ग्रेडों का नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।

: पदोन्नति:

डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-क -ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

क) केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारी

1) नियमित आधार पर समकक्ष पदों को धारण करने वाला अथवा

11) रू0 1200-2040 के वेतनमान में पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित ।

111) रू0 1150-1500/950-1500 के वेतनमान में पदों पर 6/8 वर्ष की नियमित सेवा सहित; तथा

	(ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले ।
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारण किए हुए किसी बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)
13. यदि विभागी पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन ?	: सीधी भर्ती के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति । (विभागीय पदोन्नति समिति का पूरा गठन बताया जाए) ।
14. वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।	: लागू नहीं होता ।

(i) स्थायी तौर पर सदृश्य पद धारण करने वाले; अथवा

(ii) रू0 1350-2200 के वेतनमान में पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित; अथवा

(iii) रू0 1200-2040 के वेतनमान के पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा सहित; अथवा

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त अथवा इसके समकक्ष तथा डाटा एन्ट्री कार्य के लिए कम से कम 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घंटे की गति प्राप्त ।

टिप्पणी:- डाटा एन्ट्री कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घंटे की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रौनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन (नौ) पर गति परीक्षा का आयोजन करके किया जाएगा ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारण किए हुए किसी बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन ?

: सीधी भर्ती के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति । (पूरा गठन बताया जाए) ।

14. वे परिस्थितियां जब भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।

: लागू नहीं होता ।

अनुसूची

1.	पद का नाम	: डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-घ
2.	पदों की संख्या	: x(नियम बनाने का वर्ष) xकार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय ।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ग, अराजपत्रित, अलिपिकीय ।
4.	वेतनमान	: रू0 1600-50-2300-दो0रो-60-2660.
5.	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	: गैर-चयन पद
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है ।	: लागू नहीं होता ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	: लागू नहीं होता ।
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	: लागू नहीं होता ।
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी ।	: लागू नहीं होता ।
10.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	: लागू नहीं होता
11.	भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	: पदोन्नति, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में उन ग्रेडों का नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	: पदोन्नति: डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड-ग में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण: (क) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी

(i) स्थायी तौर पर सदृश्य पद धारण करने वाले; अथवा

(ii) रू0 1400-2300/2600 के वेतनमान में पदों पर 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित; अथवा इसके समकक्ष, अथवा

(iii) रू0 1350-2200 के वेतनमान के पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा इसके समकक्ष; अथवा

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त अथवा इसके समकक्ष तथा डाटा एन्ट्री कार्य के लिए कम से कम 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घंटे की गति प्राप्त ।

टिप्पणी: डाटा एन्ट्री कार्य के लिए 8000 की डिप्रेशन्ज प्रति घंटे की गति का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन(नों) पर गति परीक्षा को आयोजन करके किया जाएगा ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारण किए हुए किसी बाह्यसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन ? : समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पूरा गठन बताया जाए) ।

14. वे परिस्थितियां जब भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । : लागू नहीं होता ।

अनुसूची

1. पद का नाम	: डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड "क"
2. पदों की संख्या	: x(नियम बनाने का वर्ष) xकार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय ।
3. वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अलिपिकीय ।
4. वेतनमान	: रू0 1600-50-2300-दो0रो-60-2660.
5. चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	: लागू नहीं होता ।
6. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है ।	: लागू नहीं होता ।
7. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	: 30 वर्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में 45 वर्ष तक) छूट् । टिप्पणी:- आयु सीमा निश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए अनुसार होगी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती न किए जाने की स्थिति में निम्न टिप्पणी अन्त:स्थापित की जाए । टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, लाहौल तथा स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी डिवीजन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप वालों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख न हो कर) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।
8. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी (अथवा संगठन द्वारा निर्णय किए अनुसार इलेक्ट्रौनिक डाटा प्रौसेसिंग के अन्य संगत क्षेत्र) सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र, या प्रोग्रामिंग, पद्धति प्रचालन पद्धति विश्लेषण का ज्ञान । जिसका निर्णय उचित परीक्षा द्वारा किया जाएगा ।

टिप्पणी:1. अन्यथा रूप से योग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्वनिर्णय पर छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी:2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन की किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने संभव नहीं हैं तो अनुभव संबंधी अर्हताओं में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के स्वनिर्णय पर छूट दी जा सकती है ।

9. क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगे । : लागू नहीं होता ।

10. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो : दो वर्ष

11. भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । : सीधी भर्ती

टिप्पणी:- किसी पदधारी द्वारा एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा लम्बी छुट्टी या अन्य अनुज्ञेय परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर भरा जा सकता है:

(क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पदों को धारण करने वाला अथवा

(ii) रू0 1400-2300/2600 के वेतनमान में पदों पर 4 वर्ष की नियमित सेवा या इसके समकक्ष; और

	(ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले ।
12. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में उन ग्रेडों का नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	: लागू नहीं होता ।
13. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन ?	: सीधी भर्ती के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति । (विभागीय पदोन्नति समिति का पूरा गठन बताया जाए) ।
14. वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।	: लागू नहीं होता ।